मृत्यु प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राप्त करना

शव-परीक्षण (ऑटोप्सी) के बाद, चिकित्सक द्वारा जन्म,मृत्यु व विवाह पंजीकरण कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफ बर्थ्स, डैथ्स एंड मैरिजेस) में एक फॉर्म भेजा जायेगा जिसमें मृत्यु का कारण बताया गया होगा। एक बार यह काम हो जाने के बाद मृत्यु का अधिकारिक तौर पर पंजीकरण होता है। आप उस मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति, जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीकरण कार्यालय से पा सकते हैं अथवा अंतिम संस्कार निर्देशक (फ्युनरल डायरेक्टर) द्वारा आपके लिये वह प्रति प्राप्त की जा सकती है।

कॉरोनियल सलाह सेवा

कॉरोनियल काउंसलिंग सेवा ब्रिसबन स्थित क्वीन्सलैण्ड स्वास्थ्य, न्यायिक और वैज्ञानिक सेवा (क्वीन्सलैण्ड हैल्थ फॉरेन्सिक एंड साइंटिफिक सर्विसेज) में है। वहाँ पर उन मृतकों के रिश्तेदारों को सहायता व निःशुल्क सलाह देने के लिये कुशल काउंसलर्स (सलाहकार) उपलब्ध होते हैं जिनकी मृत्यु की जाँच कॉरोनर (मृत्यु समीक्षक) द्वारा की जा रही होती है। ये काउंसलर्स मृत्यु की कॉरोनर द्वारा जाँच की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में सहायता कर सकते हैं तथा स्थानीय सहायता सेवाओं के बारे में सूचना प्रदान कर सकते हैं।

अ◌ॉस्ट्रेलियन आत्महत्या अनुसंधान तथा निवारण इंस्टीट्यूट (AISRAP)

ग्रिफिथ विश्वविद्यालय द्वारा आत्मघाती व्यवहार के लक्षणों तथा आत्महत्या में योगदान करने वाले तथ्यों को और भी अच्छी तरह से समझने के लिये AISRAP के माध्यम से अनुसंधान किया जाता है। इसका उद्देश्य अ◌ॉस्ट्रेलिया में आत्मघाती व्यवहारों के निवारण के लिये, अनुसंधान गतिविधियों के चँहुमुखी कार्यक्रमों का आयोजन करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका सपोर्ट करना है। आत्महत्या के द्वारा हुई किसी मृत्यु से जुड़ी कोई भी सूचना, हमें आत्मघाती व्यवहार को समझने तथा अंततः उसकी रोकथाम के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह सूचना आत्महत्या के प्रति सामाजिक जागरुकता बढ़ाने और सम्पूर्ण समाज से आत्महत्या के कलंक को कम करने के लिये लाभदायक होती है।

सूचना का एकत्रीकरण

आपके द्वारा साझा की जा सकने वाली कोई भी जानकारी इस शोध को जारी रखने में सहायता करेगी। उसका उपयोग, आत्महत्या निवारण के क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास में भी किया जा सकता है। क्वीन्सलैण्ड पुलिस सेवा के सदस्यों द्वारा AISRP को यह सूचना एकत्रित करने में सहयोग किया जा रहा है और यदि आप सहमत हों तो, आपकी प्राधिकृति (अ◌ॉथोराइजेशन) AISRP में शोधकर्ताओं को भेज दी जायेगी, यदि आगे और जानकारी की जरुरत हुई तो वे आपसे सपर्क कर सकते हैं।

राज्य कॉरोनर कार्यालय

पोस्ट बॉक्स 1649 फोन: 3239 6193
ब्रिसबन क्वींसलैण्ड 4001 लोकल कॉल:1300 304 605
फैक्स: 3239 0176

ईमेल: state.coroner@justice.qld.gov.au
वेब साइट: www.courts.qld.gov.au/129.htm

पुलिस पूछताछ

एक पुलिस अधिकारी द्वारा इस ब्रोचर के आगे वाले भाग में अपना विवरण लिख दिया गया होगा। आगर ऐसा नहीं हुआ हो तो सहायता के लिये कृपया अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

ब्रिसबन में

कॉरोनियल सपोर्ट यूनिट फोन: 3274 9197
फोरेंसिक एंड साइंटिफिक सर्विसेज

कॉरोनियल सलाह सेवा

क्वींसलैण्ड हैल्थ फोरेंसिक एंड साइंटिफिक सर्विसेज
39 केसल्स रोड फोन: 3000 9342
कूपर्स प्लेन्स क्वींसलैण्ड 4107 मुफ्त कॉल: 1800 449 171
फैक्स: 3274 9166

ईमेल: fss_counsellors@health.qld.gov.au

जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीकरण कार्यालय

पोस्ट बॉक्स 15188 फोन: 1300 366 430
सिटी ईस्ट क्वींसलैण्ड 4002
ईमेल: bdm-mail@justice.qld.gov.au

आत्महत्या अनुसंधान तथा निवारण

अ◌ॉस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फोर सुसाइड रीसर्च एंड प्रीवेन्शन
(AISRAP) फोन: 3735 3382
वेब साइट: www.griffith.edu.au/health/australian-institute-suicide-research-prevention

सहायता संघ

लाइफलाइन फोन: 131 114
विक्टिम्स काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज फोन: 1300 139 703
होमिसाइड (नरहत्या) विक्टिम्स सपोर्ट ग्रुप फोन: 1800 774 744
SIDS तथा KIDS क्वींसलैण्ड फोन: 1300 308 307
सर्वाइवर्स अ◌ॉफ सुसाइड बरीव्मैन्ट एसोसिएशन फोन: 1300 767 022
कम्पैशनेट फ्रैंड्स क्वींसलैण्ड फोन: 3254 2657
साल्वोकेयर फोन: 1300 363 622
स्टैंडबाय ब्रिसबन फोन: 3250 1856/0438 150 180
ट्रांसकल्चरल मैन्टल हैल्थ सर्विस ब्रिसबन फोन: 1800 188 189
फोन: 3167 8333

QUEENSLAND POLICE WITH HONOUR WE SERVE

कॉरोनियल जाँच एवम् पुलिस रिस्पोंस

QP 0416
09/12
Δ1

जाँचकर्ता पुलिस

(Rank) (Name)

(Reg. No.) (Station) (Phone No.)

यहाँ पुलिस क्यों है?

कुछ निश्चित मामलों में मृत्यु की, किसी कॉरोनर द्वारा जाँच आवश्यक होती है। इनमें वो मामले शामिल हैं जहाँ मृत्यु का कारण पता न हो, देखभाल के दौरान, अप्राकृतिक तथा हिंसात्मक मृत्यु हुई हो। जाँच में पुलिस द्वारा कॉरोनर की सहायता की जाती है।

अब आगे क्या होगा?

जब पुलिस को किसी की मृत्यु के बारे में बताया जाता है तो वह:

- तय करेगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु के मामले की जाँच कॉरोनर द्वारा होगी या नहीं।
- मृतक के परिवार, मित्रों तथा प्रत्यक्षदर्शियों से कुछ प्रारंभिक सूचना एकत्रित करेगी ताकि उस मृत्यु के बारे में कॉरोनर को सूचित किया जा सके। कॉरोनर को विस्तृत जानकारी देने के लिये कभी-कभी पुलिस को परिवार से दोबारा संपर्क करने की जरुरत भी पड़ सकती है।
- मृतक की पार्थिव देह को मुर्दाघर में ले जाने के लिये सरकार से ठेका प्राप्त फ्यूनरल निर्देशक की व्यवस्था करेगी।
- मृत व्यक्ति की औपचारिक पहचान की व्यवस्था करेगी।

कॉरोनर की भूमिका क्या होती है?

कॉरोनर द्वारा किसी की मृत्यु की जाँच, पुलिस की सहायता से मृत व्यक्ति की पहचान, उसकी मृत्यु कब व कहाँ हुई, वह कैसे मरा और मृत्यु का चिकित्सीय कारण पता लगाने की दृष्टि से की जाती है। कॉरोनर इस बात पर भी विचार करेगा कि मृत्यु की न्यायिक जाँच होनी चाहिये या नहीं। कॉरोनर इस बारे में परिवार से भी विचार-विमर्श करेगा कि मृत्यु की न्यायिक जाँच होनी चाहिये या नहीं। कॉरोनर द्वारा एक बार मामले की जाँच पूरी कर लिये जाने के बाद, जाँच में मिली जानकारी की लिखित प्रति परिवार वालों को प्रदान की जायेगी।

औपचारिक पहचान

कॉरोनर के लिये मृत व्यक्ति की पार्थिव देह को अंतिम सँस्कार के लिये परिवार को सौंपे जाने से पूर्व मृत व्यक्ति की औपचारिक पहचान कराना जरुरी होता है। साधारणतया पुलिस किसी ऐसे आदमी द्वारा की गई दृष्टिगत पहचान पर निर्भर करती है जो मृत व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हो। यदि ऐसा संभव न हो तो पुलिस, उंगलियों के निशान, दाँत अथवा DNA पहचान जैसे अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकती है।

मृत व्यक्ति के दर्शन

पुलिस के लिये जरुरी औपचारिक पहचान हेतु किये गये दर्शनों से, अंतिम सँस्कार के समय अथवा फ्युनरल निर्देशक के प्रार्थना-घर में किये जाने वाले दर्शन अलग होते हैं। इन दर्शनों की व्यवस्था आपके द्वारा चुने गये फ्युनरल निर्देशक के माध्यम से की जा सकती है।

व्यक्तिगत सामान

कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के पास मिली व्यक्तिगत चीजों को जाँच पूरा होने तक रखा जा सकता है। क्षतिग्रस्त या संदूषित कपड़ों को साधारणतया मृत व्यक्ति के मुर्दाघर में भर्ती किये जाने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। इन सामानों या कपड़ों की वापसी के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या उन्हें लौटाये जाने का आग्रह करना चाहते हैं तो आपको मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी से बात करनी चाहिये।

शव-परीक्षण (ऑटोप्सी) सूचना

शव-परीक्षण में मृत शरीर का गहन मैडिकल परीक्षण होता है, यह परीक्षण एक विशेष रुप से प्रशिक्षत डॉक्टर या पैथोलोजिस्ट द्वारा किया जाता है। यह शव-परीक्षण मृत्यु के बाद बहुत जल्दी किया जाता है साधारणतया अगले दिन और लगभग सभी मामलों में तीन कार्य-दिवसों के भीतर। शव-परीक्षण के दौरान, मृत व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाता है और उनकी गरिमा को सुरक्षित रखने का बहुत ध्यान रखा जाता है।

अधिकांश मामलों में कॉरोनर को शव-परीक्षण करवाने की जरुरत पड़ेगी ताकि यह पता लगने में सहायता मिल सके कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे व क्यों हुई। कॉरोनर द्वारा बाह्य शव-परीक्षण, आंशिक रुप से आंतरिक शव-परीक्षण अथवा पूर्णतया आंतरिक शव-परीक्षण का आग्रह किया जा सकता है। किसी मामले की परिस्थितियों के अनुसार कॉरोनर तय करता है कि किस प्रकार के शव परीक्षण की जरुरत है। बाह्य शव परीक्षण में मृत देह का दृष्टिगत परीक्षण शामिल होता है। जाँच के लिये एक्सरे भी लिया जा सकता है और खून तथा अन्य द्रव्यों के नमूने भी लिये जा सकते हैं।

एक आंतरिक शव- परीक्षण में शरीर के आंतरिक अवयवों का परीक्षण शामिल होता है। पूर्णतया आंतरिक शव-परीक्षण के दौरान,छाती, पेट तथा सिर के अवयवों को निकाल के उनकी जाँच की जाती है। एक आंशिक आंतरिक शव-परीक्षण में केवल शरीर के कुछ निर्धारित हिस्सों या अवयवों की ही जाँच की जाती है।

जाँच और विश्लेषण के लिये खून, द्रव्यों और टिश्यु के नमूने लिये जा सकते हैं। शव-परीक्षण पूरा हो जाने के बाद उन अवयवों को वापस शरीर में लगा दिया जायेगा। लेकिन, कभी-कभी आगे और परीक्षणों तथा जाँचों के लिये डॉक्टर के लिये संपूर्ण अवयवों अथवा शरीर के कुछ हिस्सों जैसे दिमाग या दिल को रखना जरुरी हो सकता है।

एक आंतरिक शव-परीक्षण का लाभ यह होता है कि उससे किसी भी अन्तर्निहित स्थिति या रोग सहित मृत्यु के कारण को विस्तार से समझने में सहायता मिल सकती है जिसके बारे में जानना परिवार के लिये बहुत ही सहायक हो सकता है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है कि कुछ मामलों में शव का आंतरिक परीक्षण किये बिना मृत्यु के चिकित्सीय कारणों का पता नहीं लग सकता। ऐसे मामलों में, यदि शव का आंतरिक परीक्षण नहीं किया गया तो मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण 'अनिर्धारित' लिखा जायेगा।

शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर अथवा पैथोलोजिस्ट द्वारा कॉरोनर को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान की जायेगी। यदि आपको उस शव-परीक्षण की एक प्रति चाहिये तो आपको कॉरोनर को लिखना होगा।

एक शव-परीक्षण के बारे में चिंतायें उठाना

एक शव के आंतरिक परीक्षण का आदेश देने से पूर्व कॉरोनर को परिवार द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करना आवश्यक होता है। यदि आपको, किये जाने वाले आंतरिक परीक्षण के बारे में कोई चिंतायें हैं तो, आपको इस बारे में कॉरोनर को जल्दी से जल्दी सूचित करना होगा और अपने विचार उन्हें बताने होंगे।

आप पुलिस को सूचित करके या कॉरोनर के कार्यालय से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं। कॉरोनर के लिये आपकी चिंताओं के बारे में जानना जरुरी होता है लेकिन शव के आंतरिक परीक्षण की आवश्यकता है या नहीं उस बारे में अंतिम निर्णय कॉरोनर द्वारा ही लिया जाता है। यदि कॉरोनर द्वारा शव के आंतरिक परीक्षण का निर्णय लिया जाता है तो उसे, उस शव परीक्षण के आदेश की एक प्रति आपको देनी होगी। आप कॉरोनर के निर्णय की समीक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं। आप इस मुद्दे के बारे में कानूनी सलाह लेने के बारे में भी सोच सकते हैं।

शव-परीक्षण के बाद अवयवों तथा टिश्युस को रोक रखना

अक्सर ऐसा होता है जब, आगे और जाँच के लिये टिश्युस के नमूने रख लिये जाते हैं। कुछ मामलों में संपूर्ण अवयवों अथवा शरीर के हिस्सों जैसे कि दिमाग और दिल को, आगे और जाँच तथा विश्लेषण के लिये रखना जरुरी होता है। इन अंगो को तब तक रखा जाता है जब तक कि पैथोलोजिस्ट द्वारा जरुरी जाँचें पूरी किये नहीं कर ली जातीं। कुछ बहुत ही जटिल मामलों में इस काम में कई सप्ताह का समय लग सकता है।

यदि अवयवों को रोक रखने की जरुरत पड़ी तो परिवार को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। कॉरोनर को परिवार की सभी चिंताओं पर विचार करना होता है और वो अवयवों को रखने की अनुमति तभी देगा जब वो इस बात से पूरी तरह संतुष्ट होगा कि जाँच के लिये ऐसा करना वास्तव में बहुत ही जरूरी है।

कॉरिनयल सलाह सेवा के काउंसलर्स द्वारा अवयवों या शरीर के हिस्सों को वापस लौटाने के बारे में परिवार के साथ बातचीत की जायेगी। मृतक के परिवार द्वारा शव के अंतिम सँस्कार को जाँच पूरी होने तक टाला जा सकता है अथवा वे अवयवों को बाद में दफनाने या गाड़ने का निर्णय ले सकते हैं।

अंतिम सँस्कार की व्यवस्था करना

एक बार जब शव-परीक्षण पूरा हो जाता है और कॉरोनर को इस बात की पूरी संतुष्टी हो जाती हे कि आगे और परीक्षण या जाँचों के लिये मृत देह को रखना जरूरी नहीं है तो, कॉरोनर द्वारा 'अंतिम संस्कार के लिये मृत देह को छोड़ने' के आदेश पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। साधारणतया मृत देह, परिवार द्वारा चुने गये फ्युनरल निर्देशक को दी जाती है।

पुलिस द्वारा मृत व्यक्ति को, शव-परीक्षण के लिये एक मुर्दाघर में ले जाने के लिये उसी फ्युनरल निर्देशक की सेवायें काम में लेनी होगी जिसे सरकार से इस काम का ठेका मिला हुआ है। लेकिन, परिवार सरकार से ठेका प्राप्त फ्युनरल निर्देशक की सेवायें काम में लेने के लिए बाध्य नहीं होता।